राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांक: एफ. 61(238) SSAAT/सा. अंके/चयन/2022–23/4922 जयपुर दिनांक 16/10/2024

स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण निदेशक के पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

विज्ञप्ति

ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित सोसायटी सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में संविदा पर स्वतंत्र निदेशक के 01 पद (अनारक्षित) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। पद अवधि 03 वर्ष के लिए निर्धारित है।

अहर्ता एवं सेवा शर्तो का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान https://rdprd.gov.in , नरेगा https://nrega.raj.nic.in एवं सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान https://socialaudit.rajasthan.gov.in की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी कार्यालय के दूरभाष नं.. 0141–2227033 पर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 19.11.2024 तक, सांय 6.00 बजे तक उपरोक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्वयं के दवारा सील बंद लिफाफे मे भिजवाये जा सकते है। उक्त दिनांक के उपरांत रजिस्टर्ड डाक/स्वयं के द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा।

सीलबंद लिफाफे पर **" स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण निदेशक पद हेतु आवेदन पत्र "** लिखा होना आवश्यक है।

निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक की फोटो चस्पा करें

1. व्यक्तिगत जानकारी

आवेदक का नाम	
पिता का नाम	
लिंग	
जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
नागरिकता	
स्थायी निवासी	
मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी	
आयु (आवेदन की अंतिम तिथि को)	
वर्तमान पता मय पिन कोड	
स्थाई पता मय पिन कोड	

2. शैक्षणिक योग्यता : (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र/अंकतालिका संलग्न करें)

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा वर्ष	विषय	श्रेणी/प्रतिशत

Scanned with CamScanner

3. पूर्व में धारित पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)–

क्रं. सं.	पद नाम	विभाग/कार्यालय	समयावधि	वि.वि.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

4. सामाजिक अंकेक्षण के कार्य अनुभव का विवरण–

विभाग/संस्थान का नाम	धारित पद	अवधि		कार्य संबंधित संक्षिप्त विवरण
		कब से	कब तक	

5. राजकीय/मान्यता प्राप्त संगठन में ग्रामीण योजनाओं के संचालन का प्रशासनिक अनुभव :–

विभाग/संस्थान का नाम	धारित पद	अवधि		कार्य संबंधित संक्षिप्त विवरण
		कब से	कब तक	

Scanned with CamScanner

6. आपराधिक प्रकरण एवं प्रचलित विभागीय जांच (यदि हो, तो संक्षिप्त विवरण अंकित करें):–

....
....
....
....
....

7. 02 संस्थाओं के संदर्भित व्यक्तियों के नाम, पता एवं सम्पर्क नम्बर जिनमें आप संबंद्ध रहे हो।

....

....

....

....

....

8. सेवानिवृत अधिकारी **PPO** की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री..यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे संज्ञान में सत्य एवं सही है। इस आवेदन पत्र के संलग्नक, मूल दस्तावेजो की सत्यप्रतिलिपि हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं तो मुझे किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

दिनांक :

स्थान :

नाम :

हस्ताक्षर :

Scanned with CamScanner

स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण निदेशक के पद पर भर्ती हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

"सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)" ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र सोसायटी है, सोसायटी में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है।"सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)" का गठन मनरेगा तथा ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत संचालित योजनातंर्गत कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा कार्य हेतु राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत दिनांक 19–09–2019 को किया गया है।

अर्हता–

1. राज्य सरकार /केन्द्र सरकार अथवा राजकीय उपक्रम के सेवानिवृत अधिकारी जो राजस्थान सरकार के 7 वें वेतनमान में वेतन लेवल L-21 (6 वें वेतनमान) में 37400–67000 GP–8700) से कम न हो ।
   आवेदक के पास अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वंयन का न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनरेगा हेतु भारत सरकार द्वारा जारी Annual Master Calendar वर्ष 2022–23 अनुसार आवेदक को सामाजिक अंकेक्षण में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

   अथवा

   सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ जिसे 10 साल का सामाजिक अंकेक्षण एवं अधिकारों संबंधित गतिविधियों (Right Based Activities) का अनुभव हो।
2. आवेदक के पास मान्यता प्राप्त किसी विश्वविधालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए।
3. आवेदक के विरूद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक केस लंबित एवं अपराधी घोषित नहीं होना चाहिये।
4. आवेदक को कार्यालय प्रशासन के साथ ही कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहियें।
5. आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं के निरीक्षण एवं यात्रा करने में शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

आयु सीमा–

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 62 वर्ष से अधिक न हो,इस संबंध में प्रमाण हेतु माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न् करें।

Scanned with CamScanner

आवेदन शुल्क –

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निदेशक SSAAT के नाम देय 500/पांच सौ मात्र का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराना होगा। आवेदन शुल्क के अभाव मे आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

कार्यावधि–

स्वतंत्र निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण पद हेतु कार्यकाल अधिकतम 03 वर्ष का होगा जिसे शासी निकाय की अनुमति से कार्यकाल की अवधि अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनो में से जो भी पहले हो, बढायी जा सकती है।

वेतन एवं अन्य सुविधाएं –

1. संविदा नियुक्ति पर एक मुश्त राशि रू. 1,20,000(रूपए एक लाख बीस हजार मात्र) प्रतिमाह होगी। समय–समय पर आवश्यकतानुसार मासिक मानदेय शासी निकाय की अनुमति से संशोधित किया जा सकेगा।
2. वाहन की पात्रता आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा के समकक्ष होगा।
3. यह नियुक्ति राजस्थान सरकार के सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियमों के अधीन होगी।
4. मकान किराया भत्ता मासिक मानदेय का 18%/राज्य में प्रचलित देय होगा।

पदसमाप्ति /त्यागपत्र

1. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के स्वतंत्र निदेशक के पद पर संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी।
2. स्वतंत्र निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के सेवा को समय के पहले समाप्त करने का निर्णय शासी निकाय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा लिया जायेगा।

स्वतंत्र निदेशक के दायित्व–

1. सामाजिक अंकेक्षण इकाई का संचालन एवं नियंत्रण करना।
2. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के दिन–प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करना।
3. सामाजिक अंकेक्षण इकाई से संबंधित नीतिगत निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना।
4. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के उद्देश्य और दृष्टिकोण हेतु समस्त आवश्यक क्रियाकलापों को पूर्ण करना।
5. सामाजिक अंकेक्षण इकाई हेतु कर्मचारियों (अमलों) की भर्ती करना तथा दिन–प्रतिदिन के आय–व्यय का प्रबंधन करना।

Scanned with CamScanner

6. निर्धारित अंतराल पर शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की बैठक आहुत करना एवं सामाजिक अंकेक्षण इकाई के समिति के बैठकों का कार्यवाही विवरण,अभिलेख व पंजिकाओं का संधारण सुनिश्चित करना।
7. शासकीय अधिकरियों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करना।

चयन प्रक्रिया

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
2. यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होती है तो,साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित किए जाने हेतु प्राप्त् आवेदनों के अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के अंक प्रदान कर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।
3. स्वतंत्र निदेशक पद के प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत संलग्न अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का निर्धारण किया जावेगा,इसके पश्चात साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से पात्र उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।
4. अनुभव एवं साक्षात्कार से प्राप्त् अंकों का योग कर परिणाम तैयार किया जावेगा।
5. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

अंक निर्धारण (अनुभव + साक्षात्कार) – (अ) + (ब) = कुल 50 अंक

(अ) अनुभव के अंक का निर्धारण –30 अंक

(ब) साक्षात्कार के अंक का निर्धारण – 20 अंक

क्र.	समाजिक अंकेक्षण का अनुभव	राजकीय/मान्यता प्राप्त संगठन में ग्रामीण योजनाओं के संचालन का प्रशासनिक अनुभव	साक्षात्कार हेतु
1	*2*	*3*	*4*
1	• 02 वर्ष से अधिक अनुभव पर 02 अंक, प्रत्येक वर्ष हेतु। • अधिकतम 20 अंक।	• 02 अंक प्रत्येक वर्षके अनुभव पर। • अधिकतम 10 अंक।	• 20 अंक।

Scanned with CamScanner